प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हुआ। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य वादी पूर्ण मानी जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 9/4/2026 को पेश हो।	
9/4/26	वकील वादी उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 16/4/2026 को पेश हो।	
16/4/26	वकील वादी उप.। अन्य कार्यों में व्यस्त होने से निर्णय नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश 23/4/26 को पेश हो।	[illegible]
23/4/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं0 92/दावा/2017

तारीख दायरा 06.12.2017

तारीख फैसला 23.04.2026

श्रीमती मडी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व0 श्री गजानन्द पत्नि दुर्गालाल जाति माली निवासी ग्राम पंचायत भवन के पास ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

वादीनी

बनाम

1. श्रीमती जसोदा आयु 43 वर्ष पत्नि मोडूलाल पुत्री श्री गजानन्द जाति माली निवासी हरिजन मौहल्ला काली माता का मन्दिर देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) ।
2. मोडूलाल आयु 45 वर्ष आ0 हीरालाल जाति माली निवासी हरिजन मौहल्ला काली माता का मन्दिर देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब तालेडा जिला बुन्दी (राज.)
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, तालेडा जिला बून्दी (राज.)

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादीः- श्री राजकुमार गौतम

अधिवक्ता प्रतिवादीः-

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा- 88, 89, 188 एवं 53 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 सगी बहिने है, उनके पिता गजानन्द आ0 मन्ना जी माली निवासी ग्राम देहित का निर्वसीयती स्वर्गवास हो गया है। वादीनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 की माता का भी स्वर्गवास हो चुका है, स्वर्गीय गजानन्द आ0 मन्ना जी का अन्य कोई उत्तराधिकारी जीवित नही है। वादीनी एवं उसके पति ने गजानन्द जी की बिमार अवस्था में सेवा सुश्रुषा की है, ईलाज करवाया है, तथा मरनोपरान्त अन्तिम संस्कार सम्पन्न करवाया है। कृषि भूमि खसरा संख्या 817 रकबा 12 बिस्वा, 821 रकबा 9 बिस्वा, 1778 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 2579 रकबा 08 बिस्वा, 2591 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, 2713 रकबा 15 बिस्वा एवं 3227/784 रकबा 6 बिस्वा कुल खसरा 07 कुल रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी मे स्थित है। जो वर्तमान जमांबदी में प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज है। यह भूमि जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2054 में वादीनी एंव प्रतिवादी क्रम 1 के पिता स्वर्गीय श्री गजानन्द आ0 मन्ना माली साकिन देह खातेदार दर्ज थी। जिसे गजानन्द जी की मृत्यु के उपरान्त दोनो पुत्रियो वादीनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खातेदार समान रूप से दर्ज किया जाना चाहिऐ था, किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने राजस्व कर्मचारियो से साठ गाठ करके अकेले स्वंय के नाम दर्ज करवा ली है, यह प्रविष्ठि वादीनी के विरूद्ध सर्वथा अवैध है । इस प्रविष्ठि से उपरोक्त कृषि भूमि मे वादीनी के 1/2 हिस्सा सह खातेदारी अधिकार पर कोई कानूनी प्रभाव नही है। कृषि भूमि खसरा संख्या 1777 रकबा 01 बिस्वा, 2429 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा तथा 2580 रकबा 01 बीघा कुल 06 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी मे स्थित है। जो वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 मे प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 एंव प्रतिवादी क्रम 2 हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज है। यह कृषि भूमि भी जमाबंदी सम्वत् 2052 से 2055 में गजानन्द वल्द मन्ना हिस्सा 1/2 मु. पाची वैवा रामचन्द्र हिस्सा 1/4, छीतरलाल माता पाची हिस्सा 1/4 कौम माली साकिन देह खातेदार दर्ज थे। इस प्रकार इस चरण मे उपरोक्त कृषि भूमि पर गजानन्द आ0 मन्ना हिस्सा 1/2 के स्थान पर गजानन्द जी के स्वर्गवास के उपरान्त उनकी पुत्रियो वादीनी श्रीमती मडी बाई एंव प्रतिवादी क्रम 1 जसोदा बाई समान रूप से सहखातेदार दर्ज की जानी चाहिऐ थी, किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 श्रीमती जसोदा बाई ने राजस्व कर्मचारियो से साठ गाठ करके वादीनी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही गजानन्द जी के स्थान पर अकेले स्वंय का नाम अवैध रूप से दर्ज करवा लिया है। वैधानिक रूप से वादीनी एंव प्रतिवादी क्रम 1 संयुक्त एवं समान रूप से 1/2 हिस्से भूमि की खातेदार दर्ज की जानी चाहिऐ थी। यह प्रविष्ठि वादीनी के

47

विरूद्ध सर्वथा अवैध एवं प्रभावहीन है । इस चरण में वर्णित भूमि हिस्सा 1/2 बैचान के आधार पर प्रतिवादी मोडूलाल के नाम दर्ज कर दी गई है। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण क्रम 2 मे वर्णित भूमि मे स्वंय को प्रतिवादी क्रम 1 के साथ 1/2-1/2 हिस्से की तथा वाद पत्र की चरण क्रम 3 में वर्णित कृषि भूमि मे स्वंय को प्रतिवादी क्रम 1 के साथ 1/4 - 1/4 हिस्से की सह खातेदार घोषित करवा कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाये तथा सम्पूर्ण कृषि भूमि का बंट्यारा करवाकर बंट्यारे में प्राप्त होने वाली भूमि पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त करे, एवं स्वतंत्र खाता दर्ज करवाये। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा राजस्व रेकार्ड में करवाई गयी अवैध प्रविष्ठि के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 वाद विषयक कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो, बैंक एवं संस्थाओ को रहन बैचान तथा भारग्रस्त करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी क्रम 1 अपने उद्देश्य मे सफल हो गई तो वादीनी को भारी अपूरणीय क्षति होगी। सम्पूर्ण वाद विषयक कृषि भूमि पूर्वजो से प्राप्त पुश्तैनी सम्पति है तथा पुश्तैनी कृषि भूमि की आमदनी से अर्जित सम्पति है। वादीनी ने पट्वारी हल्का से दिसम्बर सन् 2015 में फसल खराब होने का मुआवजा प्राप्त करने के लिये नकल जमाबंदी प्राप्त की तब पहली बार इस अवैध प्रविष्ठ की जानकारी हुई कि प्रतिवादी क्रम 1 ने सम्पूर्ण कृषि भूमि अवैध नामान्तकरण द्वारा अपने नाम दर्ज करवा ली है। इससे पूर्व वादीनी को उक्त अवैध प्रविष्ठि का ज्ञान नही था। वादीनी अपने वैधानिक हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी ने प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त अवैध प्रविष्ठि को हटवा कर वादीनी का खाते मे नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया तो प्रतिवादी क्रम 1 पहले तो आश्वासन देती रही किन्तु दिनाक 25.11.17 को वादीनी का वाद ग्रस्त भूमि पर स्वत्व मानने से इंकार कर दिया है। यही वादोत्पति का कारण है। वाद अतिआवश्यक प्रकृति का है तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने वादीनी को भूमि से बेदखल करने एंव भूमि को रहन बैचान भारग्रस्त करने की धमकी दी है। इस कारण राजस्थान राज्य को वाद पूर्व निर्धारित अवधी का नोटिस दिया जाना सम्भव नही है। नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(2) जा0दी0 प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि वादीनी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 817 रकबा 12 बिस्वा, 821 रकबा 9 बिस्वा, 1778 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 2579 रकबा 08 बिस्वा, 2591 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, 2713 रकबा 15 बिस्वा एवं 3227/784 रकबा 6 बिस्वा कुल खसरा 07 कुल रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को सम्मान रूप से 1/2 - 1/2 सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख मे दर्ज किया जावे। कृषि भूमि खसरा संख्या 1777 रकबा 01 बिस्वा, 2429 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा तथा 2580 रकबा 01 बीघा कुल 06 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी में वादीनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को सम्मान रूप से 1/4 -1/4 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। वादीनी के हिस्से की भूमि का विधिवत बंट्वारा किया जाकर वादीनी को बंट्वारे मे प्राप्त होने वाली भूमि पर स्वंतत्र कब्जा प्रदान किया जावे तथा स्वतंत्र खाता कायम किया जावे। प्रतिवादी क्रम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीनी को विवादित कृषि भूमि के सयुंक्त कब्जे काश्त से बैदखल नही करे तथा इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति बैंक अथवा संस्था के पक्ष में रहन बैचान एवं भारग्रस्त नही करे। प्रतिवादी उपपंजीयक महोदय, तालेडा को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वाद विषयक कृषि भूमि के बाबत् प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा निष्पादित किसी रहन बैचान एंव भार प्रलेख का पंजीयन नही करे। यदि वादीनी को दोराने वाद बैदखल कर दिया जावे तो इसी वाद में वापस कब्जा दिलवाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादी सं0 1 सगी बहने होना स्वीकार है वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के खाते में दर्ज होना स्वीकार है। वादिनी को प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है कि वह अपने हिस्से को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाये क्योकि वादपत्र की चरण सं0 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमियॉं गजानन्द जी के नाम की भूमियॉं है जो स्वयं गजानन्द जी ने ही बनाई थी इसलिये उन्हे वसीयत करने का पूरा अधिकार था। वादिनी व प्रतिवादी सं0 1 के पिता स्वर्गीय गजानन्द जी द्वारा अपने जीवन काल में जीवित रहते हुये प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में वसीयत कर दी थी उस वसीयत के आधार पर ही नामान्तकरण खुला है। जिसकी जानकारी वादिनी को काफी समय से है उसने नामान्तकरण की अपील भी कर रखी है और उसमें उक्त वसीयत का हवाला भी दिया है इसलिये जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से प्रविष्टि है वह सही है कानूनी तरीके से है। वादिनी ने अपने पिता की उनके जीवनकाल में कभी कोई सेवा नही की और अब केवल मात्र प्रतिवादी सं0 1 व 2 को परेशान

वर्मा

करने की नीयत से उक्त वाद पेश किया गया है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों में आधा हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 गोदू लाल का अंकित किया गया है जो तत्कालीन खातेदार से क्रय किया गया है। तत्कालीन खातेदार शान्ती बाई बैवा छीतर लाल, इन्द्रा बाई, ललता बाई पुत्रियाँ छीतर लील जातियान माली निवासीगण बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 12.12.2005 को क्रय की गई है जिसका इस वाद से कोई सरोकार नही है।

वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादीनी एवं प्रतिवादी जसोदा के पिता का नाम निर्वसीयती स्वर्गवास हो गया है।

– वादीनी

2. आया वादपत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि वादिनी एवं प्रतिवादीनी के पिता के खातेदारी की थी, जिसे प्रतिवादी ने सांठ-गांठ करके अपने स्वयं के खाते दर्ज करवा लिया है।

– वादिनी

3. आया वादपत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी जसोदा का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है। सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा वादीनी स्वयं के खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है तथा बंट्वारा करवाकर खाता पृथक कराने का वादीनी का अधिकार है।

– वादीनी

4. आया वादीनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

– वादीनी

5. आया स्वर्गीय गजानन्द ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी। इसी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया गया है।

– प्रतिवादी

6. आया प्रतिवादी क्रम 2 का जवाबदावा अन्य आक्षेप की चरण क्रम 3 के अनुसार वाद से कोई सरोकार नही है।

– प्रतिवादी

7. अनुतोष।

वादिनी की ओर से वाद पत्र के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर साक्ष्य में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 211 सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 210 सम्वत् 2072 से 2075 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 58 सम्वत् 2052 से 2055 प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 59 सम्वत् 2052 से 2055 प्रदर्श-4, प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक 22.09.2022 अति0 सभागीय आयुक्त कोटा प्रदर्श-5 पेश किये।

प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर दौराने साक्ष्य वादी जिरह प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि मडीबाई जसोदा की सगी बहन थी एवं गजानन्द जी इनके पिता थे। जसोदा द्वारा अपने जवाब पत्र में वादग्रस्त आराजी वसीयत के आधार पर जसोदा के नाम दर्ज रिकार्ड होना भी स्वीकार किया है। किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य ही पेश नही किया जो वसीयत के तथ्य को प्रमाणित करे ना ही कोई वसीयतनामा प्रत्रावली में पेश किया गया। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। जसोदा द्वारा दर्ज कराया गया। नामान्तरण न्यायालय श्रीमान अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आदेश दिनांक 22.09.2022 से निरस्त कर दिया गया था। निर्णय में वसीयत एवं भूमि के पुश्तेनी अथवा स्वअर्जित बाबत निर्णय इस विचाराधीन वाद की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये निर्धारण बाबत प्रतिप्रेषित किया गया था। ऐसी स्थिति में वादी का वाद वादग्रस्त आराजी के पुश्तेनी होने एवं वसीयत नही होने से स्वीकार कर वादिनी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य मे भाग नही लेने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने से अब तनकीवार विवेचन नही कर सीधे ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं बहस उभयपक्ष के आधार पर निर्णय हेतु अग्रसर होते है।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त आराजी के मूलपुरूष मन्ना जी थे। जिनके पुत्र गजानन्द जी हुये। उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी मन्ना जी की मृत्यु उपरान्त गजानन्द जी के खाते में दर्ज रिकार्ड हुयी एवं गजानन्द जी की मृत्यु उपरान्त जसोदा पुत्री गजानन्द के दर्ज रिकार्ड हुयी। जिसे मडी बाई जो की गजानन्द जी की दुसरी पुत्री थी ने दर्ज नामान्तरण को चुनोती देते हुये उक्त नामान्तरण को निरस्त करवाया। जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड प्रदर्श-5 से प्रमाणित है। मडी बाई एवं जसोदा गजानन्द जी की पुत्रिया थी यह तथ्य भी जवाब दावा से प्रमाणित है। प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचनों में वादग्रस्त आराजी वसीयत के आधार पर स्वयं प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होना बताया किन्तु वसीयत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी ना ही ऐसा कोई भी प्रमाणित तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वादग्रस्त आराजी गजानन्द जी की पेतृक सम्पति थी। जिसकी वसीयत का अधिकार गजानन्द जी को नही था। इसलिये यदि गजानन्द जी द्वारा कोई वसीयत की गयी तो वह प्रभाव शुन्य है। ऐसी स्थिति में गजानन्द जी की सम्पति को उनके विधिक वारिसान के मध्य हिस्सानुसार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी खाता सं0 211 वाके ग्राम देहित संवत 2072 एवं आराजी खाता सं. 210 वाके ग्राम देहित संवत 2072 में गजानन्द जी के हिस्से पर जसोदा का नाम विलोपित कर नये स्तर से गजानन्द जी के विधिक वारिसान मडी बाई एवं जसोदा का हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मनस्वी नरेश , आर०ए०एस०

श्रीमती मडी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व० श्री गजानन्द पत्नि दुर्गालाल जाति माली निवासी ग्राम पंचायत भवन के पास ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

वादीनी

बनाम

1. श्रीमती जसोदा आयु 43 वर्ष पत्नि मोडूलाल पुत्री श्री गजानन्द जाति माली निवासी हरिजन मौहल्ला काली माता का मन्दिर देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) ।
2. मोडूलाल आयु 45 वर्ष आ० हीरालाल जाति माली निवासी हरिजन मौहल्ला काली माता का मन्दिर देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब तालेडा जिला बुन्दी (राज.)
4. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, तालेडा जिला बून्दी (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>अन्तर्गत धारा 88,89,53 व 188 आर.टी.एक्ट</u>

92/दावा/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री राजकुमार गौतम एडवोकेट मिनजानिब मुदई ..... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी खाता सं० 211 वाके ग्राम देहित संवत 2072 एवं आराजी खाता सं. 210 वाके ग्राम देहित संवत 2072 में गजानन्द जी के हिस्से पर जसोदा का नाम विलोपित कर नये स्तर से गजानन्द जी के विधिक वारिसान मडी बाई एवं जसोदा का हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज............................ मुबलिक................................ बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई		रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महबताबा वकील		
महबताबा वकील				खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान				फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर				बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा				हुक्मनामा		
मुतफरिक				मुतफरिक		
मीजान						

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 23 माह 03 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा